

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ						
31/12/20	न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल विविध वाद संख्या 174/2019-2020 (भूदान पत्र-दान पत्र संपुष्टि) आदेश							
	<p>दाता श्री रामेश्वर यादव, पिता-मोदन यादव, ग्राम-दोरा, थाना-करपी, जिला-अरवल से संबंधित कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद-सह-अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11.10.2019 द्वारा दान पत्र संपुष्ट हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान-यज्ञ-दान पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान-यज्ञ-दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत है:-</p> <table border="1" data-bbox="256 763 1334 954"> <thead> <tr> <th>खाता</th> <th>खेसरा</th> <th>रकवा</th> <th>चौहद्दी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>06 डी०</td> <td>उत्तर-कर्मधारी दक्षिण-मुस्मात रक्षा पूरब-चनारी पश्चिम-पुनीत</td> </tr> </tbody> </table> <p>मौजा-दोरा, थाना नं०-67, थाना+अंचल-करपी, जिला-अरवल</p> <p>भूदान दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। दाता की उपस्थिति हेतु कार्यालय पत्रांक 843 दिनांक 31.12.2019 से अंचल अधिकारी, करपी के माध्यम से नोटिस तामिला कराया गया। दाता के तरफ से कोई नहीं उपस्थित हुए और न किसी प्रकार के आपति दर्ज किया गया। अंचल अधिकारी, करपी के पत्रांक 647 दिनांक 21.12.2020 द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया।</p> <p>भूदान यज्ञ-दान पत्र एवं अंचल अधिकारी, करपी के जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। भूदान यज्ञ दान पत्र पर दाता का हस्ताक्षर अंकित है एवं गवाह के रूप में रामवृक्ष सिंह का हस्ताक्षर है। अंचल अधिकारी, करपी ने जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि झापस महतो, पिता-बौध महतो के नाम से खतियान दर्ज है। राजेन्द्र सिंह वगैरह, पिता-वासुदेव सिंह के नाम पर जमाबंदी कायम है। रामवृक्ष सिंह वगैरह, पिता-वासुदेव सिंह का वर्तमान में दखल कब्जा है। दाता दखल कब्जाधारी का दादा है। अंचल अधिकारी, करपी ने प्रतिवेदित किया है कि दान पत्र में खाता एवं खेसरा अंकित नहीं है। भूमि रैयति खाते की जो धनहर है। प्रस्तावित भूमि भूहदबंदी, गैरमजरूआ खास, कैसरे हिन्द, मंदिर, मस्जिद, श्मशान, चिरारी आदि से मुक्त है। वर्णित भूमि पर भूदान दान पत्र के समय दाता का दखल कब्जा था।</p> <p>भूदान वितरण जॉच आयोग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) बिहार पटना के पत्रांक 1050 दिनांक 28.12.2020 में उल्लेखित है कि वैसे दान पत्र जिसमें खाता संख्या, खेसरा संख्या, मौजा एवं अन्य सूचनाये अंकित नहीं है वैसे दान पत्रों को असम्पुष्टि किया जायेगा क्योंकि इस प्रकार के दान पत्रों को संपुष्ट किये जाने की स्थिति में जमीन को चिन्हीत करना संभव नहीं है।</p> <p>अतः अंचल अधिकारी, करपी के जॉच प्रतिवेदन एवं भूदान भूमि वितरण जॉच आयोग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) के पत्रांक 1050 दिनांक 28.12.2020 भूदान यज्ञ दान पत्र में वर्णित भूमि की बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 की धारा 11 के आलोक में संपुष्टि नहीं की जाती है। इसकी एक प्रति कार्यालय मंत्री भूदान यज्ञ कार्यालय जहानाबाद-सह-अरवल एवं अंचल अधिकारी, करपी को भेजे।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित भूमि सुधार उप समाहर्ता अरवल।</p> <p style="text-align: right;">31/12/20 भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल।</p>		खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी	-	-
खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी					
-	-	06 डी०	उत्तर-कर्मधारी दक्षिण-मुस्मात रक्षा पूरब-चनारी पश्चिम-पुनीत					